

1. श्रवण पुत्र बाल्या उर्फ बालूराम
2. रामधन पुत्र बाल्या उर्फ बालूराम
3. रामजीलाल पुत्र बाल्या उर्फ बालूराम
4. महादेव पुत्र बाल्या उर्फ बालूराम जाति माली निवासी जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज।
5. रूकमणी बेवा बाल्या
6. ग्यारसीदेवी पुत्री बाल्या
7. गंगादेवी पुत्री बाल्या समस्त जाति माली समस्त निवासीगण जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राज।

बनाम

1. रामसहाय पुत्र रूघनाथ
2. गोपाल पुत्र रूघनाथ
3. गंगाधर पुत्र रूघनाथ
4. इसरा पुत्र रूघनाथ
5. छोटा पुत्र रूघनाथ जाति माली निवासी जटवाडा, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
6. सब-रजिस्ट्रार महोदय, बस्सी, जिला जयपुर।
7. तहसीलदार महोदय बस्सी, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
8. ग्राम पंचायत टहटडा जरिये सरपंच टहटडा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
9. नानगा पुत्र पून्या जाति माली निवासी जटवाडा तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
10. श्रीमती प्रीति चोरडिया पत्नि श्री अमित चोरडिया जाति जैन निवासी सी-277, बाबा मार्ग, तिलक नगर, जयपुर।

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

दिनांक- 04.05.2018

प्रार्थना पत्र 12/10

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट टहटडा में पेश हुई। अप्रार्थीगण सं. 9 स्वयं उपस्थित। जिनकी पहचान सरपंच ग्राम पंचायत टहटडा ने की है तथा अप्रार्थी सं. 10 की ओर से वकील श्री राजाराम मीणा उपस्थित। अप्रार्थीगण सं. 9 व 10 के वकील को प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 37, क, ख किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र मीठावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। पत्रावली का अवलोकन एवं अप्रार्थी सं. 9 व अप्रार्थी सं. 10 के वकील को प्रार्थना पत्र पर सुनने एवं उपस्थित मौतबिरान से उक्त वादग्रस्त भूमि के संबंध में जानकारी लेने तथा लोक अदालत हेतु गठित बैंच के निर्णयानुसार वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 37, क, ख किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा स्थित ग्राम लक्ष्मीपुरा पटवार क्षेत्र मीठावास, तहसील बस्सी जिला जयपुर के संबंध में इस न्यायलय द्वारा दिनांक 21.05.2010 को जारी स्थगन आदेश के संबंध में उभयपक्षों को पाबन्द किया जाता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि की वाद के निर्णय तक मौके एवं रिकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें। पत्रावली नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ हमफ्रीता हो।

आज दिनांक 04.05.2018 को यह निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कोर्ट टहटडा में मजमे आम में सुनाया गया।

Bnd
4.5.18

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट
बस्सी